राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax : 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 40(76)ग्राविं/नरेगा/कन्वर्जेन्स–वन/2014 जयपुर, दिनांक 1/8/2016

ET AUG 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त राज0।

विषय :– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्मित जल सरंक्षण सरंचनाओं पर वन विभाग द्वारा करवाये जाने वाले वृक्षारोपण (Scattered Plantation Around Water Bodies) कार्यों के सुरक्षा एवं रख रखाव बाबत्।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। इससे उक्त संरचनाओं को स्थायित्व मिल सकेगा, साथ ही जल संरक्षण कार्यों का सीधा लाभ क्षेत्र की हरियाली बढाने में मिल सकेगा। उक्त सम्बन्ध में वन विभाग के पत्र एफ 5(10) एमजेएसए/वृक्षारोपण/विकास/अप्रमुवसं/भू.सं./2016–17/2074–2107 दिनांक 02.06.2016 एवं 20.06.2016 द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गये है। उपरोक्त पत्रानुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं पर पौधारोपण **(Scattered Plantation Around Water Bodies)** के कार्य वन विभाग द्वारा सम्पादित किए जावेगे। उक्त पौधारोपण **(Scattered Plantation Around Water Bodies)** के कार्यो का रखरखाव व सुरक्षा निम्न प्रकार महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत किया जा सकता है–

1. **कार्यो की स्वीकृतियां जारी करना–**
   - 1.1 कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां वन विभाग के साथ कन्वर्जेन्स कर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर के स्तर से जारी की जावेगी। **कार्यो की कार्यकारी संस्था वन विभाग होगा,**
   - 1.2 तकनीकी स्वीकृति दो भाग में जारी की जावेगी
     भाग अ – प्रथम वर्ष में पौधारोपण करने का कार्य, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन/अन्य मद से
     भाग ब – प्रथम वर्ष की शेष अवधि में रख रखाव व आगामी वर्षो में पौधों का सुरक्षा व रख रखाव महात्मा गांधी नरेगा मद से
   - 1.3 **दोनो भाग 'अ' व 'ब' के कार्य की कियान्वयन संस्था वन विभाग होगी।**

2. **पौधों का रख रखाव व सुरक्षा –**
   - 2.1 निर्मित की गई **Scattered** संरचनाओं में किये गये वृक्षारोपण में 150 पौधो के कलस्टर पर एक जॉब कार्डधारी अकुशल श्रमिक सुरक्षा एवं रख रखाव हेतु मस्टररोल पर लगाया जावेगा

 PTO

2.2 पौधों की निराई, गुडाई, पानी पिलाना इत्यादि हेतु निर्धारित प्रावधानानुसार अकुशल श्रमिकों का नियोजन पृथक से मस्टररोल पर किया जावेगा श्रमिकों का नियोजन महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के अनुसार किया जावेगा।

3. **मापन एवं भुगतान–**

3.1 वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु लगाए गए अकुशल श्रमिक को भुगतान महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत निर्धारित अकुशल श्रमिक दर अनुसार प्रत्येक पखवाडे की समाप्ति पर जीवित पौधो की संख्या के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा –

मद	जीवितता प्रतिशत	भुगतान मजदूरी
सुरक्षा एव रख रखाव	90 % या 90 % से ऊपर	पूर्ण मजदूरी दर (100%)
	75 % या 75 % से अधिक एवं 90 % से कम	तीन चौथाई मजदूरी दर (75%)
	50 % या 50 % से अधिक एवं 75 % से कम	आधी मजदूरी दर (50%)
	50 % से कम	जीवित पौधों के प्रतिशत के अनुपात में

3.2 सभी पौधो की जीवितता के लिए कार्यकारी संस्था वन विभाग स्तर से पूर्व में ही सुधारात्मक कदम यथा समय पर निराई,गुडाई, पानी पिलाना, आवश्यक होने पर कीटनाशक का उपयोग, खाद डालना इत्यादि लिये जावें।

3.3 **पौधों की जीवितता हेतु कार्यकारी संस्था वन विभाग उत्तरदायी होगी।**

4. **एम.आई.एस** – प्रत्येक स्वीकृत कार्य का इन्द्राज www.nrega.nic.in पर कन्वर्जेन्स के तहत किया जावेगा।

5. इन कार्यो हेतु महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के प्रावधानों एव दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

6. **यह निर्देश मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत निर्मित जल सरंक्षण सरंचनाओं पर वन विभाग द्वारा करवाये जाने वाले वृक्षारोपण (Scattered Plantation Around Water Bodies) कार्यों के सुरक्षा एवं रख रखाव हेतु ही प्रभावी होगा।**

1/8/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन आयोजना प्राधिकरण।
2. विशिष्ट सहायक, कार्यालय माननीय मंत्री ग्रा0वि0 एवं प0रा0वि0।
3. निजी सचिव, शासन सचिव (प्रथम), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
11. निजी सचिव,शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
12. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एचओएफएफ) वन विभाग।,
13. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
14. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण, जयपुर।
15. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।
16. रिंकू छीपा एम.आई.एस. सैल को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस